

प्रेषक,

एफओएनओ प्रधान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 17 मई, 2007

विषय :- डीओएसओ पब्लिक स्कूल, सरकुलर रोड, रेलवे क्वार्टर, मुजफ्फरनगर को सीओबीओएसओईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीओबीओएसओईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

TRUE COPY

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कीसिल ऑफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिस्तपूर्ण कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

TRUE COPY

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा विवृति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड नियोजित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

TRUE COPY

भवदीय,
(एकदरना प्रमाण)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(मध), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सारनपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ।
- 4- निरीक्षक, आप्त भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- ✓ 5- अध्यक्ष, डी०एस० पब्लिक स्कूल, सरकुलर रोड, रेलवे कैंपिंग, मुजफ्फरनगर ।
- 6- आई बुक ।

TRUE COPY

S.K. Sharma

MANAGER
D S PUBLIC SCHOOL
Muzaffarnagar (U.P.)

H. Jaisi,
(एकदरना प्रमाण)
संयुक्त सचिव ।

Santosh Jaisi
PRINCIPAL
D S PUBLIC SCHOOL
Muzaffarnagar (U.P.)